संख्या /54–1–13/ 2012टीसी

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह
संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
स्टेट लेविल नोडल एजेंसी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1– **आयुक्त एवं प्रशासक,**
शारदा सहायक समादेश,
23–सी गोखले मार्ग, लखनऊ।

2– अध्यक्ष एवं प्रशासक,
रामगंगा कमाण्ड परियोजना,
पाण्डुनगर कानपुर ।

भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग– 1, (समादेश बन्धु) **लखनऊ, दिनॉक 24 जनवरी, 2013**

विषय–**डब्ल्यूसीडीसी एवं डब्ल्यूडीटी कार्मिकों का 03 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित कराने के संबंध में।**

महोदय,

आईडब्ल्यूएमपी योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर स्थापित डब्ल्यू.सी.डी.सी. एवं भूमि संरक्षण इकाई (पीआईए) में कार्यरत डब्ल्यू.डी.टी. के सदस्यों का 03 दिवसीय अभिमुखीकरण प्रशिक्षण (Orientation Training) कृषि वित्त निगम मर्यादित द्वारा ***वैकल्पिक ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्र, (नेडा), देवारोड, चिनहट, लखनऊ*** में आयोजित किया जायेगा। माह फरवरी, 2013 में आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण सत्र एवं इसमें भाग लेने वाले डब्ल्यूसीडीसी एवं डब्ल्यूडीटी के कार्मिकों का जनपदवार, इकाईवार विवरण संलग्न है।

उक्त के संबंध में यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले कार्मिकों को प्रशिक्षण सत्र प्रारम्भ होने की तिथि को पूर्वान्ह 9.30 बजे तक प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। प्रत्येक प्रशिक्षण हेतु 40 कार्मिकों को नामित किया गया है। अतः कृपया यह सुनिश्चित कराने का कष्ट करें कि प्रत्येक दशा में निर्धारित संख्या में प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण सत्रों में उपस्थित रहें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(आनन्द कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संख्या 46 (1)/54–1–2012/दिनॉकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग,उ0प्र0 शासन।
2– मुख्य वित्तीय सलाहकार/ वित्त एवं लेखाधिकारी, एस.एल.एन.ए., लखनऊ।
3– संयुक्त निदेशक, समादेश बन्धु, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग,उ0प्र0शासन।
4– प्रबन्धक एवं प्रभारी, कृषि वित निगम मर्यादित, 21– विधानसभा मार्ग, लखनऊ।
5– प्रशासनिक अधिकारी, एस0एल0डी0सी0, 23–सी, गोखले मार्ग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट http://upldwr.up.nic.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करें ।

(आनन्द कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी